पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-सामान्य निर्देश(132) भाग-3/2022-23/ 2813 /वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 19 सितम्बर, 2022

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान)राज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।
3-समस्त आहरण वितरण अधिकारी/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त (ए),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन ने पत्रांक-एस0ई0सी0टी0एस0/444-guidelines/2022/995 दिनांक 21.07.2022(छायाप्रति संलग्न) द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.07.2022 में उल्लिखित है कि "योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड होना अनिवार्य है। स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की व्यवस्था योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in पर आनलाईन आवेदन के माध्यम से की गयी है। राजकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा पेंशनर्स के आनलाईन आवेदन का सत्यापन क्रमशः सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा।"

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-स्था-6सामान्य-सामान्य निर्देश(132) भाग-3/2022-23 / 1787 दिनांक 13.07.2022 द्वारा शासनादेश दिनांक 07.01.2022 के क्रम में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 21.07.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार विभाग के सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1080/11-3-22

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक: एस0ई0सी0टी0एस0/444-guidelines/2022/ 995 लखनऊ : दिनांक: 21 जुलाई, 2022

विषयः- पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 21 जुलाई, 2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कालेजों एवं अन्य सरकारी चिकित्सालयों में लाभार्थियों को बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा, जबकि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सलयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष रू0 5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हैल्थ कार्ड होना अनिवार्य स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की व्यवस्था योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in पर आनलाईन आवेदन के माध्यम से की गयी है। राजकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा पेन्शनर्स के आनलाईन आवेदन का सत्यापन क्रमशः सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आनलाईन आवेदन के सत्यापन के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल पर ई-के0वाई0सी0 करते हुए लाभार्थी अपना स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड/ प्रिन्ट कर सकते हैं। आनलाईन आवेदन से लेकर स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड होने तक लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के द्वारा आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी।

क्रमशः 2

स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से योजनान्तर्गत आबद्ध किसी भी सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय में 'बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन' के पश्चात लाभार्थी को आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग में भर्ती किया जायेगा तथा कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा केवल अन्तःरोगी (Indoor Patients) को ही अनुमन्य है।

योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in पर स्टेट हेल्थ कार्ड प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया (Process Flow), आवश्यक दिशा निर्देश/शासनादेश तथा FAQs अपलोड कर दिए गये हैं। 24x7 टोल फ्री काल सेन्टर नम्बर –1800 1800 4444 भी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

सभी विभागों द्वारा अपने सरकारी कार्मिकों को स्टेट हेल्थ कार्ड आसानी से उपलब्ध कराने हेतु योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in को विभागीय पोर्टल के साथ लिंक करना उपयुक्त होगा। इससे विभाग के सभी अधिकारी/कार्मिक अपना स्टेट हेल्थ कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक: यथोपरि

प्रतिलिपि– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव